

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठारसीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

करण संख्या: 177 / 2022

प्रार्थीगण :-

1. कमलादेवी पत्नी हेमाराम
2. नौरत्न पुत्र थानाराम
जाति मेघवाल निवासी भोमाणी मेघवालों की ढाणी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. खरथा पुत्र रामजी
2. चैनाराम पुत्र रूपाराम
3. दुर्गा पुत्र रामजी
4. देवा पुत्र रामजी
5. वरजूदेवी पत्नी रूपाराम
6. हरजीराम पुत्र रामजी
7. दूदाराम गोदपुत्र नारणाराम
जाति जाट भोमाणी मेघवालों की ढाणी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 14.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत: 2075-2078 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा भोमाणी मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 828/2 रकबा 2.5738 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी



होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा भोमाणी मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 828/2 रकबा 2.5738 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/10/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी